न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–04,गाजीपुर।
{उपस्थितः श्री दुर्गेश. (एच0 जे0 एस0)**}**
जे.ओ.कोड यू.पी.1626,

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2496 / 2022.
सी.एन.आर.नं. यू.पी.जी.एच.–010051882022

अमरनाथ राजभर पुत्र स्व0 विरेन्द्र राजभर।
निवासी–दरबेपुर, थाना–खानपुर, जनपद–गाजीपुर

––––––––––प्रार्थी / अभियुक्त.

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

––––––––––––विपक्षी.

अपराध संख्या–194 / 2022
धारा–41, 411, भा0दं0सं0
थाना–खानपुर,
जनपद–गाजीपुर।

अधिवक्ता अभियुक्त– श्री रामाश्रय सिंह।
अधिवक्ता राज्य– श्री शशि कान्त सिंह,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

दिनांक–03.11.2022

1. आवदेक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

2. मु0अ0सं0–194 / 2022, अंतर्गत धारा–41, 411 भा0दं0सं0 थाना–खानपुर, जिला गाजीपुर के प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया कि आवदेक / अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है और उपरोक्त आशय का कोई अपराध नहीं किया है। थाना पुलिस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक को उक्त कथित प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा कथित घटना का जैसा वर्णन किया गया है, इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई थी। आवेदक / अभियुक्त न तो पुलिस थाना खानपुर द्वारा दर्शाये गये घटनास्थल पर गिरफ्तार हुआ था, न ही आवेदक / अभियुक्त के पास से कथित चोरी की कोई मोटर साइकिल ही बरामद हुई थी, सम्पूर्ण अभियोजन कथानक मिथ्या बनावटी तथा गलत तथ्यों पर आधारित है। उक्त घटना का कोई स्वत्रंत जनसाक्षी नहीं है। आवेदक / अभियुक्त मौधा बाजार, गाजीपुर में कल्लू समरसेबुल वाटर पम्प रिपेयरिंग सेंटर की दुकान चलाता है जहॉ आवेदक के साथ अन्य कई सहयोगी कार्य करते है। दूर दराज से तमाम लोग समरसेबुल पम्प की रिपयेरिंग के लिए आवेदक / अभियुक्त के दुकान पर आते–जाते रहते है। आवेदक / अभियुक्त के उक्त दुकान के सामने

सड़क पर किसी व्यक्ति द्वारा खड़ी की गयी मोटरसाइकिल को पुलिस थाना खानपुर द्वारा कब्जे में लिया गया था, जिसके सम्बंध में आवेदक/अभियुक्त की दुकान पर आवेदक से पूछ ताछ किया गया परन्तु मोटरसाइकिल खड़ी करने वाले व्यक्ति के सम्बंध में अनभिज्ञता जाहिर करने पर पुलिस थाना खानपुर आवेदक/अभियुक्त को ही उक्त कथित घटना दर्शाते हुए अभियुक्त बना दिया। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त शरीफ इज्जतदार एवं क्षेत्र के लोगों में सम्मानित मिस्त्री के रुप में प्रसिद्ध है तथा कारोबार करके जीवनयापन करता है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। गवाहों को नहीं तोड़ेगा तथा विवेचना में सहयोग करेगा। उपरोक्त के अलावा भी अन्य आधारों पर आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकृत होने योग्य है।

3. वहीं दूसरी ओर अभियोजन–पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का
निवेदन किया गया है।

4. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.10.2022 को वादी मुकदमा उ0नि0 आशुतोष शुक्ला मय हमराह मय सरकारी वाहन संख्या–यू0पी0 जी0320 से देखभाल क्षेत्र में रात्रि गश्त चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति करते हुये शिवदरासपुर मोड़ तिराहे पर चेंकिग कर रहे थे। तभी जियापुर पुलिया मेहनाजपुर की तरफ से एक मोटर साइकिल पर 01 व्यक्ति तेजी से आता दिखायी दिया। जिसका टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल धीमा कर पीछे मोड़कर भागना चाहा कि मोटरसाईकिल फिसल गयी और वह गिर गया। शक संदिग्ध होने पर हमराही कर्मचारीगण द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम अमरनाथ राजभर उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 विरेन्द्र राजभर निवासी ग्राम दरबेपुर, थाना–खानपुर, जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष बताया गया। जिसकी जामा तलाशी से पहने हुए लोवर की जेब से 01 अदद मोबाईल रीयलमी 05 जिसमें 9721007846 नम्बर लगा बरामद हुआ। उससे भागने का कारण पूछा तो बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है जिसे मैने विकास भवन वाराणसी के पास से दिसम्बर 2020 में चुराया था वहॉ से लाकर गाड़ी अपने घर में काफी दिनों तक रखा था फिर जब काफी समय बीत गया तब गाड़ी को अपने उपयोग में लाया हूॅ। आज भी मैं इसे लेकर अपने घर जा रहा था कि आप पुलिस वालो को देखकर पकड़े जाने के डर से वापस भागना चाहा रहा था कि गाड़ी फिसल गयी और आप लोगों ने पकड़ लिया। बरामद मोटरसाइकिल का नम्बर यू0पी0 65 बी.एफ 2491 स्पलेण्डर प्रो को चालान एप से चेक किया गया तो इसके वाहन स्वामी का नाम अनिल कुमार चौहन पुत्र श्री शिवबचन सिंह चौहन निवासी–सुगुलपुर चौबेपुर वाराणसी पाया गया। मुबाईल नम्बर पर सर्म्पक किया गया तो ज्ञात हुआ उक्त वाहन अनिल कुमार सिंह चौहान का है। जो दिनांक 15.12.2020 को विकास भवन वाराणसी से चोरी हो गया था, जिसके सम्बंध में थाना–कैण्ट जनपद–वाराणसी में मु0अ0सं0–961/2020, अन्तर्गत

धारा–379 भा0दं0सं0 में वाहन स्वामी द्वारा पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त वहान के कागजात नहीं दिखा सका। समय पर भी 4:15 बजे अभियुक्त को पुलिस हिरासत में तथा बरामद मोटरसाइकिल कब्जा पुलिस में लिया गया। अतः फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध वांछित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 02.10.2022 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास सम्बंधित थाने से नहीं बताया गया। चोरी की घटना का कोई स्वत्रंत जन साक्षी नहीं है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

6. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त अमरनाथ राजभर का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाये।
2. अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे तथा जिस तिथि पर साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा, उस दिन कोई भी स्थगन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

(दुर्गेश),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–04
गाजीपुर।